प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 17.06.2025

साइबर सेल, थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 60,000/- रुपये की धनराशि वापस कराई गई।

दिनांक 11.11.2024 को साइबर सेल थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा वादी शीशपाल निवासी सैक्टर-3 वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड के अन्तर्गत ऑनलाइन पेमैन्ट के माध्यम से ठगी के सम्बन्ध में NCRP पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई। उक्त सम्बन्ध में साइबर सेल थाना कौशाम्बी द्वारा कार्यवाही करते हुए। वादी से ऑनलाइन पेमैन्ट के जरिए ठगी गई कुल धनराशि 60,000/- रूपये को वापस कराया गया।

कार्यवाही का विवरणः-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से शीशपाल निवासी सैक्टर-3 वैशाली थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ 60,000/- रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर साइबर सेल थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए वादी के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 17.06.2025 को वादी के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

साइबर सेल थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा 25 हजार का ईनामी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 26.05.2025 को थाना मसूरी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नाहल में हुयी पुलिस सिपाही की हत्या की घटना के सम्बध में थाना मसूरी पर मु0अ0स0-152/25 धारा 191(2)/ 191(3)/ 190/131/ 125/ 121(2) / 132/ 109(1)/ 103(1)/ 61(2) /50/351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट में वांछित 25,000/-रूपये का ईनामी अभियुक्त इमरान पुत्र शमशाद निवासी नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष को आज दिनांक 17.06.2025 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा कस्बा मसूरी में नाहल अड्डे से पिलखुवा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

इमरान पुत्र शमशाद निवासी नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष

पूछताछ का विवरण - अभियुक्त इमरान ने पूछने पर बताया गया कि मेरे गांव के कादिर पर कई मुकदमें दर्ज है, नोएडा पुलिस जिस दिन कादिर को पकडने आयी थी तो पुलिस टीम को गांव के लोगों द्वारा घेर लिया गया था तथा पथराव व फायरिंग की गयी थी जिसमें एक सिपाही की गोली लगने से मृत्यु हो गयी थी मै भी उस घटना में शामिल था।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त इमरान उपरोक्त पर थाना मसूरी में 01 अभियोग पजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 25 हजार का इनामिया सहित 02 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त पिस्टल .32 बोर बरामद।

दिनांक 08.06.2025 की रात्रि को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1- प्रशान्त उर्फ कबूतर S/O पवन 2- विक्की उर्फ चेटी S/O चेंटी 3- सन्नी यादव द्वारा वादी के घर मे घुसकर वादी की पत्नी व वादी के बेटे को जान से मारने की नियत से पिस्टल से गोली मार देना जिससे वादी की पत्नी व पुत्र गम्भीर रुप से घायल हो जाना तथा अभियुक्तगण द्वारा पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी देना तथा ईलाज के दौरान वादी के पुत्र की मत्यु हो जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा 331(8),109,351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना में अभियोग में धारा 103(1)/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 09.06.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सन्नी उर्फ अनुभव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 17-06-2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त प्रशान्त उर्फ कबूतर उर्फ गोलू पुत्र पवन निवासी ग्राम चितौडा थाना मसूरी कमि0 गाजियाबाद हाल पता म0न0 307 टैन्ट एवैन्यू गौर सिटी 2 थाना बिसरख कमि0 गौतमबुद्ध नगर उम्र करीब 28 वर्ष (25 हजार का इनामिया) को गिरफ्तार कर लिया गया तथा इसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त पिस्टल .32 बोर बरामद की गई तथा अभियुक्त प्रशान्त को सह दे रहे पिता पवन कुमार पुत्र देवेंद्र सिँह नि0 ग्राम चित्तौडा थाना मसूरी कमि0 गाजियाबाद को भी गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियोग में धारा-3/25/37 आर्म्स एक्ट व 259 बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त प्रशांत उर्फ कबूतर उर्फ गोलू पुत्र पवन कुमार नि0 ग्राम चितोड़ा उर्फ डिडवारी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद ने पूछताछ के दौरान बताया कि वादी पिन्टू के लडके से मेरा व मेरे साथी का पूर्व से ही लडाई झगडा चल रहा था। साहब करीब डेढ साल पहले पिन्टू के लडके ने मेरे व मेरे साथी के ऊपर पहले भी मारपीट का मुकदमा लिखवा दिया था तब से ही मैं व मेरे साथी पिन्टू के परिवालों से रंजिश मानने लगे। दिनांक 07.06.2025 को भी हमारा पिन्टू के लडके के बीच मे लड़ाई झगडा हुआ था जिसमें हम लोगो को चोट आयी थी, उसी दिन से मैने व मेरे साथी ने इनसे बदला लेने की सोची ली और फिर दिनांक 08.06.2025 को मैं तथा मेरे साथी विक्की, पिन्टू के घर उसके बेटे को मारने के लिए गये तो उसका बेटा व पिन्टू की पत्नी मौजूद मिली। मैने अपनी पिस्टल से पिन्टू के

पुत्र पंकज व पिन्टू की पत्नी के ऊपर गोली चलाई थी फिर हम तीनो वहां से भाग गये थे, भागते वक्त छत से कूदने के कारण मेरे पैर में चोट आ गयी थी।

मैंने इस घटना के संबंध में अपने पिता पवन कुमार पुत्र देवेंद्र सिँह नि0 ग्राम चित्तौडा थाना मसूरी कमि0 गाजियाबाद को बताया तो मेरे पिता ने पैसे देकर मुझे सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया था और पुलिस से बचाने के लिए समय समय पर जगह चेंज कराते रहते थे और मेरे दाहिने पैर काफी सूजन थी मेरे पिता ने छुपछुप कर मुझे ले जाकर डाक्टरो को दिखाया तो डाक्टरो ने बताया कि सूजन की दवा दे देते है जब सूजन कम हो जायेगी तब प्लास्टर चढ़ेगा दिनांक 16.06.2025 को मेरे पिता पवन कुमार मेरे पैर को दिखाने व प्लास्टर कराने सर्वोदय हॉस्पिटल गौर सिटी सेकंड नोयडा गौतमबुद्ध नगर ले गये थे। वहाँ मुझे आपने पकड़ लिया था और घटना में प्रयुक्त मेरी गाड़ी भी अस्पताल पर थी जो आपने अपनी सुपुर्दगी में ली है जिस पिस्टल से मैंने दिनांक 08.06.2025 को हत्या की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. प्रशान्त उर्फ कबूतर उर्फ गोलू पुत्र पवन निवासी ग्राम चितौडा थाना मसूरी गाजियाबाद **(25 हजार का इनामिया)**
2. पवन कुमार पुत्र देवेंद्र सिँह नि0 ग्राम चित्तौडा थाना मसूरी कमि0 गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त प्रशान्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर आयुध अधिनियम, मारपीट , जान मारने की धमकी , हत्या व गुण्डा के कुल 05 अभियोग पंजीकृत व थाना मसूरी पर आयुध अधिनियम , बलवा व धमकी देने के 02 अभियोग पंजीकृत हैं।

अभियुक्त पवन कुमार उपरोक्त के विरूद्ध थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण –

घटना में प्रयुक्त एक अदद पिस्टल .32 बोर बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 मोटर साइकिल बरामद।

आज दिनांक 17.06.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 04 शातिर वाहन चोर अभियुक्त 1.अरशद पुत्र नामूल निवासी आमिर मेडिकल वाली गली अशोक विहार 30 फुटा रोड एक मीनार मस्जिद के पास थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष 2. जावेद पुत्र रहीमुद्दीन निवासी 20 फुटा रोड बिस्मिल्ला मस्जिद के पास अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष 3.आसिफ पुत्र क्यूमुद्दीन निवासी खुशहाल पार्क अलफला मस्जिद आजाद इन्कलेव केले वाली गली थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष 4. तौफीक पुत्र मौहम्मद अतीक निवासी खुशहाल पार्क अमन चौक के पास कादरी मस्जिद के पास शफीक की दुकान के सामने थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष को संत नगर डीएलएफ बिजली घर के पास थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया तथा इनके कब्जे से चोरी की 04 मोटर साइकिल बरामद हुई। बरामदशुदा मोटर साइकिलों के सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार, थाना ट्रोनिका सिटी व ई POLICE STATION MV THEFT CRIME BRANCH DELHI पर पूर्व से अभियोग पंजीकृत हैं। उपरोक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा-317(2)/317(5)/3(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हें छुपा देते है तथा मौका मिलने पर बेच देते है। मोटरसाइकिल बेचकर जो रुपये मिलते है उन्हे हम लोग आपस में बाँटकर अपने शौक पूरे करते है। आज भी हम लोग चोरी के इरादे से निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गए।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.अरशद पुत्र नामूल निवासी आमिर मेडिकल वाली गली अशोक विहार 30 फुटा रोड एक मीनार मस्जिद के पास थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष

2. जावेद पुत्र रहीमुद्दीन निवासी 20 फुटा रोड बिस्मिल्ला मस्जिद के पास अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष

3.आसिफ पुत्र क्यूमुद्दीन निवासी खुशहाल पार्क अलफला मस्जिद आजाद इन्कलेव केले वाली गली थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष

4. तौफीक पुत्र मौहम्मद अतीक निवासी खुशहाल पार्क अमन चौक के पास कादरी मस्जिद के पास शफीक की दुकान के सामने थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1. मोटर साईकिल टीवीएस अपाचे 160 रजि0 न0 DL5SBC2256 सम्बन्धित मु0अ0स0 236/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना अंकुर विहार
2. मोटर साईकिल स्पलैंडर प्लस रजि0 न0 DL5SAY3595 सम्बन्धित ई-एफआईआर न0 003350 दिनांक 06.02.2024 E-POLICE STATION MV THEFT CRIME BRANCH DELHI
3. मोटर साईकिल स्पलैन्डर प्लस रजि0 न0 UP14EJ0936 सम्बन्धित मु0अ0स0 291/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना ट्रोनिका सिटी
4. मोटर साईकिल स्पलैन्डर प्लस रजि0 न0 DL5SCE6749 (दिल्ली से चोरी)

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया तथा वाहन चोरी के पूर्व से 01-01 अभियोग थाना अंकुर विहार, थाना ट्रोनिका सिटी व E-POLICE STATION MV THEFT CRIME BRANCH DELHI पर पंजीकृत हैं, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा शातिर गैम्बलर अपराधी जो संगठित होकर जुआ सट्टा की खाई बाडी करके आर्थिक लाभ कमाने वाले 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार जिनके कब्जे से 02 सट्टा पर्चा, 02 पेन , 01 कैलकुलेटर व नगद 2820 रूपये बरामद ।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा जुआ सट्टे जैसे अपराध में संलिप्त जो संगठित होकर चोरी-छुपे जुआ/सट्टे की खाई-बाडी करके आर्थिक लाभ कमाने वाले शातिर अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाया गया। उक्त अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर संगठित होकर जुआ/सट्टा की खाई-बाडी करके आर्थिक लाभ कमाने वाले 02 शातिर गैम्बलर 1. सुशील पुत्र देवीसिंह निवासी मकान नं RA-2 कृष्णा विहार ,भोपुरा थाना टीलामोड कमि0 गाजियाबाद उम्र 39 वर्ष व 2. सोनू पुत्र कृष्णपाल निवासी- मकान नंम्बर 33/1 सोनिया विहार अफजलपुर थाना टीला मोड गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 02 सट्टा पर्चा, 02 पेन व 01 कैलकुलेटर व कुल 2820 रूपये बरामद हुये। अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धारा-13 सार्वजनिक जुआ अधि0 व 111/112 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि हम करीब 04-05 वर्षों से चोरी छुपके आस-पास के लडकों से जुआ-सट्टे की खाई-बाडी करके आर्थिक लाभ कमाते हैं।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

1.सुशील पुत्र देवीसिंह निवासी मकान नं RA-2 कृष्णा विहार ,भोपुरा थाना टीलामोड कमि0 गाजियाबाद उम्र 39 वर्ष।

2.सोनू पुत्र कृष्णपाल निवासी- मकान नंम्बर 33/1 सोनिया विहार अफजलपुर थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

02 सट्टा पर्चा ,02 पेन व 01 कैलकुलेटर व कुल 2820 रूपये

<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-</u>

अभियुक्त सुशील के विरुद्ध थाना साहिबाबाद व थाना टीला मोड पर 01-01 अभियोग जुआ अधिनियम का पंजीकृत है तथा अभियुक्त सोनू के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग जुआ अधिनियम का पंजीकृत है तथा उक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग थाना लोनी बॉर्डर पर पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-</u>

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करने वाले 01 अभियुक्त को 01 पिस्टल .32 बोर व फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

आज दिनांक 17.06.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा अल्वी नगर कीकरों व नाले के पास चैकिंग की जा रही थी, चैकिंग दौरान 01 अपाचे मोटरसाईकिल पर सवार 03 युवकों को रुकने का इशारा किया गया तो

पुलिस से बचकर भागने के प्रयास में गिर पड़े तथा बचने के लिये एक युवक ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया जिससे बाल बाल बचते हुये थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा एक शातिर अभियुक्त सौरभ पुत्र अजीत निवासी गांव भगोट थाना चांदीनगर जिला बागपत वर्तमान पता फ्लैट नं0 डी 3 SF2 गंगा विहार पुस्ता DLF थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष को मौके पर पकड़ लिया गया जिसके कब्जे से 01 पिस्टल .32 बोर मय 01 खोखा कारतूस .32 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .32 बोर व फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की एक अपाचे मोटरसाईकिल बरामद हुई। बरामदशुदा मोटर साईकिल के सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर धारा 303(2) बीएनएस में पूर्व से अभियोग पंजीकृत है। पकडे गये अभियुक्त के 02 साथी मौके से भाग गये जिनकी तलाश की जा रही है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना अंकुर विहार पर अन्तर्गत धारा 109/317(2)/345(3)/111/112/3(5) BNS व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मेरे ऊपर थाना लोनी बोर्डर व थाना टीला मोड में मुकदमे चल रहे है जिस वजह से मैं बचता बचता घूम रहा हूँ तथा मुकदमों के खर्चे व जीवन यापन के लिये आज मैं व मेरे साथी योजना बनाकर लूट व छीनैती करने की फिराक में थे। हम लोग मोटरसाईकिल चोरी कर उस पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर घटना को कारित करते है। यह मोटरसाईकिल भी हमने कुछ महीनो पहले थाना अंकुर विहार क्षेत्र से चोरी की थी , जिस पर हमने फर्जी नम्बर प्लेट लगा रखी थी। आज पकड़े जाने के डर से मैने पुलिस टीम पर फायर कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

सौरभ पुत्र अजीत निवासी गांव भगोट थाना चांदीनगर जिला बागपत वर्तमान पता फ्लैट नं0 डी 3 SF2 गंगा विहार पुस्ता DLF थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1.01 अदद पिस्टल 32 बोर मय 01 अदद खोखा कारतूस 32 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर
2.चोरी की फर्जी नम्बर प्लेट लगी अपाचे मो0सा0 जिसका असली रजि0 न0 DL14SX1973 सम्बन्धित मु0अ0सं0 0283/2024 धारा 303(2) BNS थाना अंकुर विहार

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोनी बोर्डर पर 307 भादवि व आर्म्स एक्ट के 03 अभियोग, थाना टीला मोड पर गाली-गलौज/धमकी का 01 अभियोग तथा थाना अंकुर विहार पर वाहन चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।